विधानसभा प्रश्न

विभाग का नाम : जल शक्ति विभाग।

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या : 2530

उत्तर की तिथिः : 10.09.2020

विषयः : पदोन्नति ।

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विनय कुमार (श्री रेणुका जी)

सम्बंधित मन्त्री : जल शक्ति मन्त्री।

प्रश्न	उत्तर
(क) जल शक्ति विभाग में कितने कर्मचारी कार्य निरिक्षक से जे0ई0 पदोन्नत किए गए; क्या कार्य निरीक्षकों की पदोन्नति जारी रहेगी; यदि हाँ, तो क्या यह पदोन्नति पुराने नियमों के तहत की जाएगी या नियमों को बदला जाएगा; ब्यौरा दे; और	<u>**क तथा ख**</u> सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में कार्य निरीक्षकों की पदोन्नति नियमों में भिन्नता क्यों है; कारण सहित ब्यौरा दें?	

श्री विनय कुमार (श्री रेणूका जी) द्वारा पूछे गये स्थगित तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 2530 से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) जल शक्ति विभाग में कार्यरत 105 कार्य निरीक्षकों को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) तथा 02 कार्य निरीक्षकों को कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के पद पर पदोन्नत किया गया है। वर्तमान में कार्य निरीक्षकों की कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं (यान्त्रिक) के पद पर पदोन्नति पुराने नियमों के तहत समय–समय पर पदों की उपलब्धता के आधार पर की जा रही है। जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के दोनों खंडों के नियमों में बदलाव का मामला विचाराधीन है।

(ख) लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभाग में कार्य निरीक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम भिन्न है, क्योंकि दोनों ही विभाग अलग है तथा प्रत्येक विभाग की कार्यशैली तथा कर्तव्य व उत्तरदायित्व भी भिन्न–भिन्न हैं।